Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

एनडीपीएस एक्ट के आरोपी जितेन्द्र को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 माह का कारावास व 6000 रूपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम मविकलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2015 में 03 किलोग्राम अवैध डोडा चूर्ण की तस्करी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0- 08/2015 धारा 8/15 एडीपीएस एक्ट पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 07.02.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी 02 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र को दोषी पाते हुए 03 माह का कारावास व 6000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है। बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police | baghpatpolice | @baghpatpolice

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

पुलिस को गलत सूचना देने वाले आरोपी गौरव को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 01 माह का कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि वर्ष 2017 में अभियुक्त गौरव पुत्र रणधीर निवासी ग्राम नागल थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम को गलत सूचना दी गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0- 359/2017 धारा 182 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 07.02.2024 को मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त गौरव को दोषी पाते हुए 01 माह के कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है। बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice | Baghpat police | baghpatpolice

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में नाबालिग लडकी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी सन्तराम को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 04 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि अभियुक्त सन्तराम पुत्र जिलेसिंह निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2022 में नाबालिग लडकी का अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0- 53/2022 धारा 363/376 भादवि, 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 07.02.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट-5 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सन्तराम को दोषी पाते हुए 04 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था।

श्री नरेश वेदवान
एडीजीसी जनपद बागपत

मुख्य आरक्षी देवीदास
कोर्ट पैरोकार थाना बिनौली

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police   baghpatpolice   @baghpatpolice

प्रेस नोट

जनपद बागपत **दिनाँक 07.02.2024**

बागपत पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पताः-

1-महक सिंह पुत्र छोटा राम निवासी पट्टी उदानिया ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत।

2-इमरान उर्फ चीस पुत्र बाबू सूक्कन निवासी ग्राम गौना थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

3-कमल पुत्र वीरसैन निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-थाना चांदीनगर पुलिस टीम।

2- थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम।

3- थाना रमाला पुलिस टीम।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर   दिनाँक 07.02.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 15/2024 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 15/2024 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त मिन्टू को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मिन्टू पुत्र सुरेश निवासी ग्राम ललियाना थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री युद्धवीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

2-है0का0 281 राकेश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

3-का0 883 उमाशंकर थाना चांदीनगर जनपद बागपत।